न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः—2020 / 00083 दर्ज तिथिः—17.07.2020

1. रायमल वल्द ठाकरा
2. धर्मा वल्द ठाकरा
3. गुली देवी पत्नी ठाकरा
   कौम जाट साकिन पटवार मण्डल छोटू तहसील गुडामालानी हाल नोखड़ा जिला बाडमेर

.......................प्रार्थीगण

बनाम

1. लूम्बा वल्द प्रभू
2. लच्छा वल्द प्रभू
3. हड़मान वल्द गंगा
4. पेमी पत्नी गंगा
5. भोमाराम वल्द लूम्बा
6. भोमीदेवी पत्नी लूम्बा
7. कुंभा वल्द लूम्बा
8. नानगा वल्द माला
9. मूला वल्द माला
10. रूखमणा वल्द माला
11. दूदा वल्द माला
12. पूरों पत्नी माला
13. भेराराम वल्द नन्दराम
14. मोटाराम वल्द नन्दराम
15. चूनीदेवी पत्नी नन्दराम
16. शेराराम वल्द राउराम
17. खींयाराम वल्द राउराम
18. हीराराम वल्द राउराम
19. हरचन्द वल्द राउराम
20. रूपोंदेवी पत्नी मंगलाराम
21. चूनी देवी पत्नी राउराम
22. भूरा वल्द रूगा
    कौम जाट साकिन झरड़ासर ग्राम पंचायत छोटू तहसील गुड़ामालानी हाल नोखड़ा।
23. शाखा प्रबन्धक आर.एम.जी.बी. होडू।
24. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार गुडामालानी

................अप्रार्थीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.12 17:33:17 IST
Reason: SelfAttested

रायमल बनाम लुम्भाराम
2020 / 00083
निर्णय दिनांकः–07.07.2025

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री चिमनसिंह चौधरी
अप्रार्थीगणः–श्री डालूराम चौधरी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131,136
राजस्थान भू–राजस्व अधि.–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–07.07.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि
   - प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 224 रकबा 117.10 बीघा मौजा झरड़ासर पटवार मण्डल छोटू तहसील नोखड़ा में अवस्थित है।
   - अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 665 / 224 रकबा 118.00 बीघा एवं खसरा संख्या 666 / 224 रकबा 148.14 बीघा बीघा मौजा झरड़ासर पटवार मण्डल छोटू तहसील नोखड़ा में अवस्थित है।
   - प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की उक्त आराजी मूल खसरा संख्या 224 से विभक्त होकर नये खसरे बने हैं। मूल खसरे से विभक्त हुए सभी खसरों में तरमीम राजस्व रेकर्ड में दर्ज रकबा के अनुसार लट्ठा नक्शा में नहीं होकर भिन्न है। प्रार्थीगण के खसरा संख्या 224 रकबा 117.10 बीघा की तरमीम लट्ठा नक्शा में मौके पर कब्जा काश्त अनुसार नहीं कर भिन्न चौड़ाई में अधिक कर दी गई है। जबकि प्रार्थीगण का विभाजन पूर्व से उक्त भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है।
   - कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 224 रकबा 117.10 बीघा मौजा झरड़ासर पटवार मण्डल छोटू में विप्रार्थीगण द्वारा हस्तक्षेप करना शुरू किया तब प्रार्थीगण द्वारा मना किए जाने पर विप्रार्थीगण द्वारा अपने नक्शें में आ रही भूमि को हड़पने की धमकी दी गई। प्रार्थीगण की आराजी में तरमीम जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड एवं विभाजन से पूर्व से चले आ रहे कब्जे काश्त, मौजुदा रहवासी ढाणियां के अनुसार की जावें एवं मूल खसरा से विभक्त हुए खसरों की तरमीम मुताबिक वर्तमान कब्जा काश्त के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 के अतिरिक्त शेष अप्रार्थीगण बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने से शेष अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा असालतन वकालतन हाजिर न्यायालय होकर जवाब प्रस्तुत कर निम्न प्रकार निवेदन किया गयाः–
   - कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 खसरा संख्या 224 में सहखातेदार हैं।
   - कि प्रार्थीगण द्वारा आवेदित खसरा संख्या 224 की तरमीम मौका व रकबे अनुसार ही तरमीम अंकित की गई है। अप्रार्थीगण के कब्जे अनुसार तरमीम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.12 17:33:17 IST
Reason: SelfAttested

लट्ठा ट्रेस में सही अंकित की गई होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना—पत्र काबिल—ए—खारिज है।

- कि प्रकरण में खसरा संख्या 224 के सहखातेदार उक्त तरमीम संशोधन करवाने हेतु सहमत नहीं होने के कारण उक्त आवेदन चलने योग्य नहीं होने से काबिल—ए—खारिज है।
- कि प्रार्थीगण द्वारा आवेदन के संलग्न प्रस्तुत परिशिष्ट—अ के अनुसार तरमीम संशोधित की जाती है तो अप्रार्थीगण के रहवासी ढाणी व अन्य अलामात खसरा संख्या 665/224 की तरमीम में आ जाएंगे। जिससे अप्रार्थी संख्या 02 को नापूर्ति होने वाली क्षति संभाव्य है। अतः प्रार्थीगण का उक्त आवेदन पत्र खारिज फरमाया जावे।

3. प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक/भू.अ./2024/1891 दिनांक 23.12.2024 द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई। तत्पश्चात् पत्रावली बहस में नियत की गई।

5. प्रकरण में उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। दौरान—ए—बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने मूल खसरा से विभक्त हुए खसरों की तरमीम मुताबिक वर्तमान कब्जा काश्त के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। दौरान—ए—बहस विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. प्रकरण में बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में सर्वप्रथम हाल राजस्व नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में विवादित आराजी का हाल राजस्व नक्शा इस प्रकार हैः—

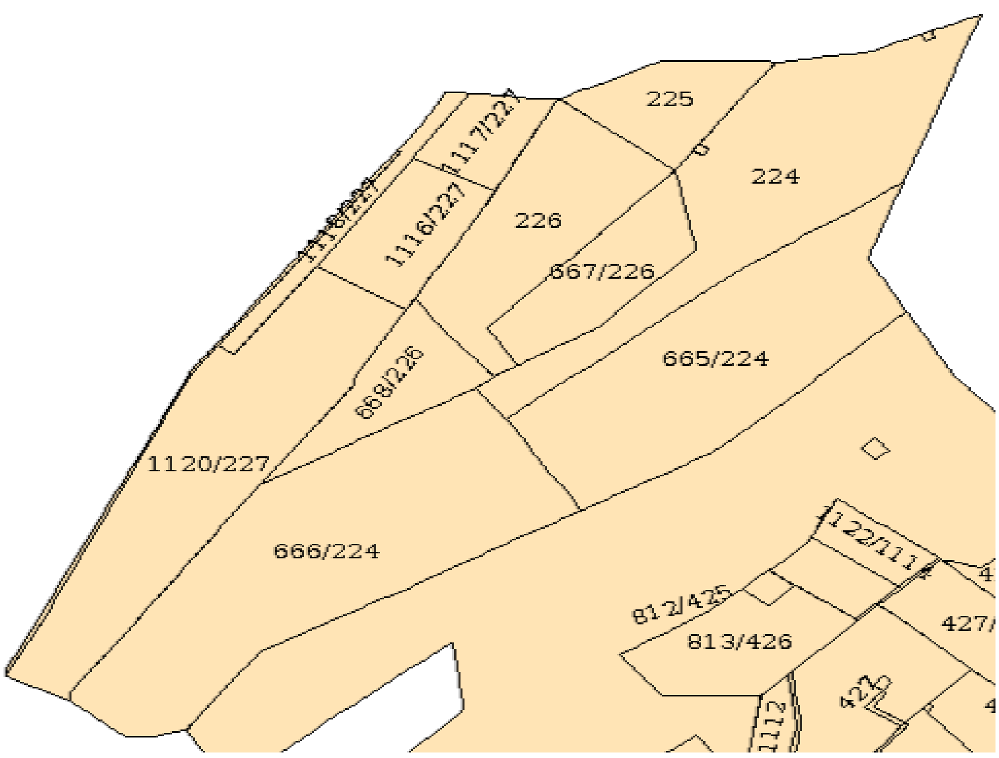

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.12 17:33:17 IST
Reason: SelfAttested

7. उक्त हाल राजस्व नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 224 मौजा झरड़ासर तहसील नोखड़ा एवं आराजी खसरा संख्या 665 / 224 एवं 666 / 224 पड़ोस में अवस्थित है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु परिशिष्ट–अ प्रस्तुत किया है। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट–अ का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः–

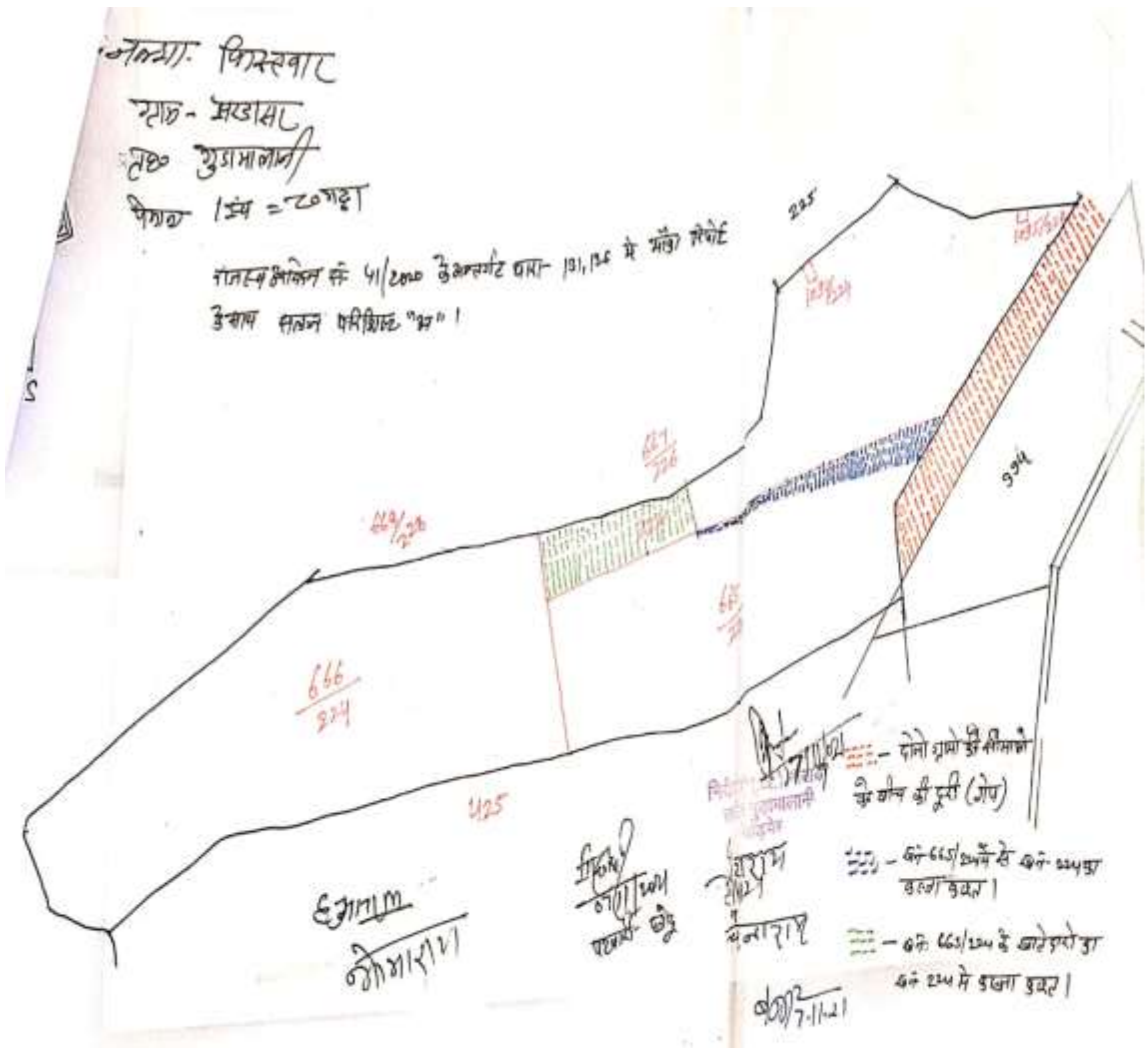

8. प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट–अ के परीक्षण के पश्चात तहसीलदार नोखड़ा के पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 1891 दिनांक 23.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। उक्त तहसीलदार नोखड़ा के पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 1891 दिनांक 23.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः–

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.12 17:33:17 IST
Reason: SelfAttested

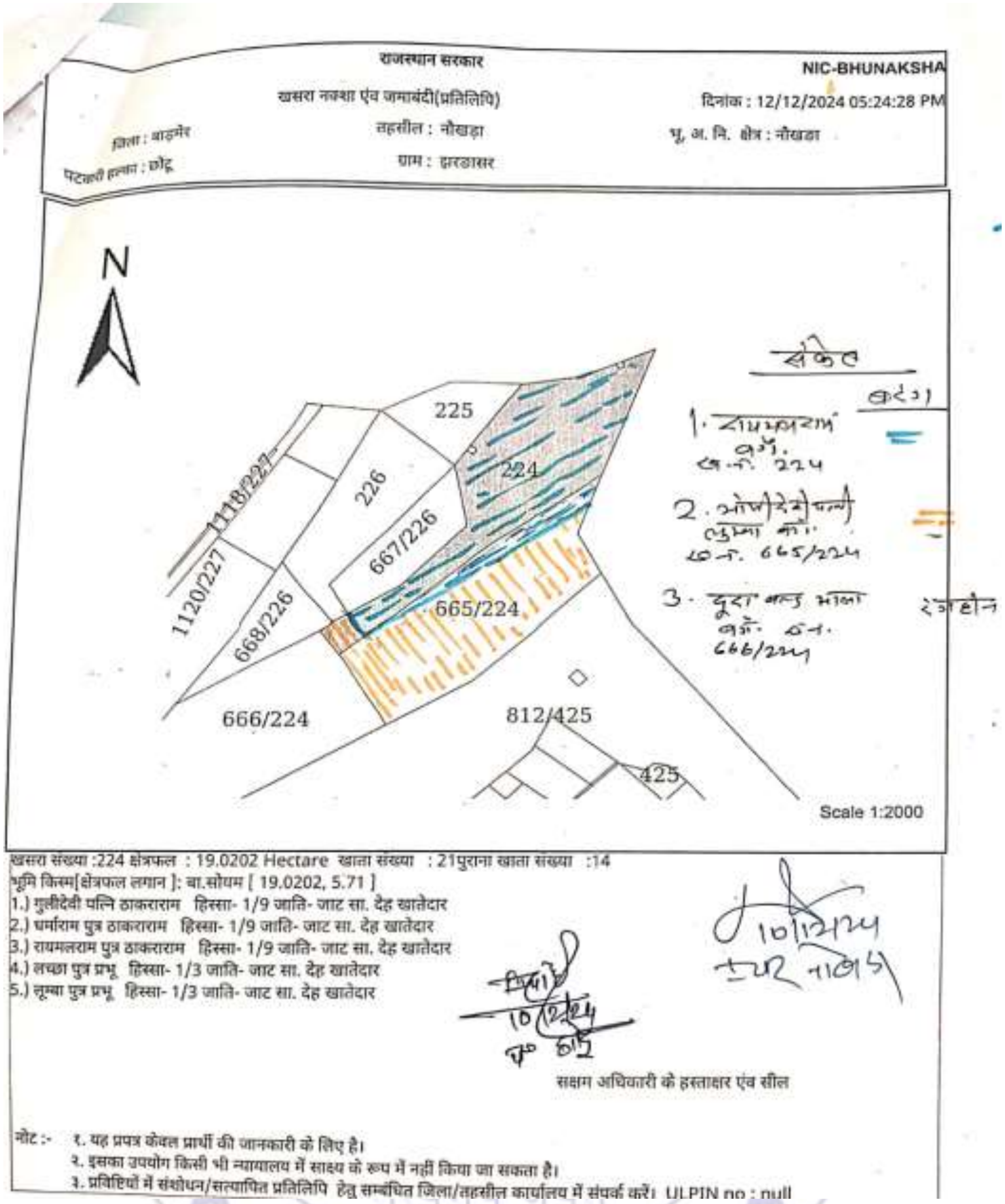
राजस्थान सरकार

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

NIC-BHUNAKSHA

दिनांक : 12/12/2024 05:24:28 PM

जिला : बाड़मेर | तहसील : नौखड़ा | भू. अ. नि. क्षेत्र : नौखड़ा

पटवारी हल्का : छोटू | ग्राम : इरडासर

खसरा संख्या :224 क्षेत्रफल : 19.0202 Hectare खाता संख्या : 21पुराना खाता संख्या :14
भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बा.सोयम [19.0202, 5.71]
1.) गुलीदेवी पत्नि ठाकराराम हिस्सा- 1/9 जाति- जाट सा. देह खातेदार
2.) धर्माराम पुत्र ठाकराराम हिस्सा- 1/9 जाति- जाट सा. देह खातेदार
3.) रायमलराम पुत्र ठाकराराम हिस्सा- 1/9 जाति- जाट सा. देह खातेदार
4.) लच्छा पुत्र प्रभू हिस्सा- 1/3 जाति- जाट सा. देह खातेदार
5.) लूम्बा पुत्र प्रभू हिस्सा- 1/3 जाति- जाट सा. देह खातेदार

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

9. प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा के पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 1891 दिनांक 23.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः—

- कि प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 224 रकबा 117.10 बीघा एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 665 / 224 रकबा 118 बीघा, 666 / 224 रकबा 148.14 बीघा का तितम्मा वर्तमान राजस्व नक्शा में रकबा बरारी अनुसार ही अंकित किया गया है।
- कि प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 224 रकबा 117.10 बीघा एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 665 / 224 रकबा 118.00 बीघा, 666 / 224 रकबा 148.14 बीघा का तितम्मा वर्तमान राजस्व नक्शे में कब्जा से आंशिक भिन्न अंकित किया गया है।
- कि प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 224 रकबा 117.10 बीघा एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 665 / 224 रकबा 118.00 बीघा, 666 / 224 रकबा 148.14 बीघा का तितम्मा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण द्वारा आपसी सहमतिपूर्व सहमति बंटवाड़ा में प्रस्तुत नक्शा बरंग अनुसार एवं स्वीकृत

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.12 17:33:17 IST
Reason: SelfAttested

नामांतरकरण संख्या 656/16.10.2004 की पुश्त पर अंकित तरमीम अक्ष अनुसार ही अंकित होने एवं तरमीम दुरूस्ती हेतु प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के सहमत नहीं होने से तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित नहीं है।

10. प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा के पत्रांक/भू.अ./2024/1891 दिनांक 23.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा आवेदित खसरा संख्या 224 की तरमीम आपसी से किये गये सहमति बंटवाड़ा में प्रस्तुत नक्शा बरंग अनुसार एवं स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 656/16.10.2004 की पुश्त पर अंकित तरमीम अक्ष अनुसार ही अंकित की गई है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा आवेदित खसरा संख्या 224 की तरमीम आपसी से किये गये सहमति बंटवाड़ा में प्रस्तुत नक्शा बरंग अनुसार एवं स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 656/16.10.2004 की पुश्त पर अंकित तरमीम अक्ष अनुसार ही अंकित की गई होने के आधार पर तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार नोखड़ा को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 07.07.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.12 17:33:17 IST
Reason: SelfAttested